13.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष पक्षकारान व उनके नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी ने यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट बाबत दुरूस्तीकरण, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आशय/अनुतोष से प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव मैरिट पर परीक्षण किया गया। विवादित आराजीयात ग्राम बांसेडा तहसील फुलियाकंला स्थित आराजी संख्या 1406 रकबा 0.08 है. भूमि किस्म चरागाह ग्राम विकास पंचायत बांसेडा के नाम पर दर्ज राजस्व रेकार्ड है। जिसको वादी इस वादपत्र के माध्यम से

प्रभावित कर दुरूस्तिकरण, घोषणात्मक दाद/अनुतोष चाहता है। परन्तु वादी ने ग्राम पंचायत बांसेडा को अपने वादपत्र में बतौर पक्षकार संयोजित नही कर, एक विधिक भूल कारित की है। जो कत्ई क्षम्य योग्य नही है। किसी आवश्यक पक्षकार को बिना सुने, प्रकरण किसी प्रकार का निर्णय पारित करना न्यायालय उचित नही समझता है।

मामले के स्पष्टीकरण हेतु वादीगण व उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादीगण स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नही आये।

अतः वादीगण का वादपत्र, वादीगण पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा)